

1/4/10 से पूर्व के अपार्टमेंट्स एवं ग्राम

प्रारूप-2

पा. 6  
पृष्ठ 1

ग्राम  
ई-ग्राम

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी  
(प्राथमिक शिक्षा) झुन्झुनु राजस्थान

दिनांक : 23/7/13

संख्यांक : 144

प्रबन्धक

झुन्झुनु राज्यालय  
कार्यालय नियम (2010)

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की दिनांक-16 विषय के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप. नियम (4) के अधीन विद्यालय की विषयता प्रस्तावना-पत्र।

महोदय/महोदया,


आपके दिनांक 9/7/13 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ भरपूर विवरण उपराज्यकार/निराकाश के प्रतिनिवेश से मैं झुन्झुनु राज्यालय कार्यालय के लिए कक्षा-8 तक अधिकार नियम 11 से दिनांक 1/4/10 से दिनांक 1/7/13 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा-8 तक अधिकार नियम 11 के लिए अनिवार्य मान्यता प्रदान करने की रासूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं-


1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संवधन के लिए कोई साध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपराज्यकार नियम 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपराज्यकार नियम 2) के उपर्योग का बालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ास के कमज़ोर वर्गों और अलावापद समूह के बालकों को प्रवेश देने करेगा और उक्त निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने के उपर्योग करायेगा।
4. निवेष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धरा-12(2) के उपर्योग में अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रधान हैन यात्रा रखेगा।

Ravi  
PRINCIPAL  
JHUNJHUNU ACADEMY  
CBSE Affi. No. 1730273  
Jhunjhunu (Raj.) 333001

  
PRESIDENT  
Jhunjhunu Academy Samity  
Jhunjhunu (Rajasthan)

5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बदलता या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कूलिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश की से इकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध / निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :-
- (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
  - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (v) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
  - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहताओं के साथ की जाती है प्रत्यक्ष और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अहताएँ नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहताएँ अर्जित करेंगे।
  - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
  - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संरिधियों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
- कुल निर्मित क्षेत्र
- क्रीड़ा रथल का क्षेत्रफल
- कक्षा कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
- पेयजल सुविधा
- घिड़-डे-भील पकाने के लिए रसोई
- बाधा रहित पहुंच


  
**PRINCIPAL**  
**JHUNJHUNU ACADEMY**  
**CBSE Affi. No. 1730273**  
**Jhunjhunu (Raj.) 333001**

  
**PRESIDENT**  
**Jhunjhunu Academy Samity**  
**Jhunjhunu (Rajasthan)**

Page 22 of 38

- अध्यापक पठन रामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर्णे/मुख्यकालय की उपलब्धता विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर सम्मत प्राप्ति कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पर्याप्त अन्य सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित केवल लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- विद्यालय के लेखाओं की चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपर्क की जानी चाहिए और उसके साथ प्रभाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक पर्व जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) <sup>134</sup> को भेजी जानी चाहिए।
- आपके विद्यालय को आवृद्धि भावता कांड संख्याक <sup>134</sup> है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
- विद्यालय रेस्ट प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निम्नरूप प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, दीक्षार/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) <sup>134</sup> साथ अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो भावता संबंधी बातों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कामकारण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- संलग्न उपाबंध-III के अनुसार शर्त कोई शर्त <sup>135</sup> नहीं।
- ३१५ पृष्ठी गोड़ी।

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा <sup>134</sup>

  
PRESIDENT  
Jhunjhunu Academy Samity  
Jhunjhunu (Rajasthan)

  
PRINCIPAL  
JHUNJHUNU ACADEMY  
CBSE Affi. No. 1730273  
Jhunjhunu (Raj.) 333001